

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक

4 FEB 2013

- आदेश -

इस विभाग के आदेश संख्या प. 2(1)साप्र/2/2012 दिनांक 15.1.2013 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किए गए राजकीय आवासों में 'आंशिक संशोधन' करते हुए उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	आंशिक संशोधित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	8/2012	श्री छोटे लाल मीण अधिशायी अभियन्ता (पी. एम.यू.) आर.डब्ल्यू.आर.एस. पी. जल संसाधन विभाग जयपुर	एन-14 गाँधी नगर जयपुर	303, मॉडल टाउन, मालवीय नगर	30.4.2028
2	28/2012	श्री राजपाल सिंह चौहान आर.ए.एस. अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम सहकारिता विभाग जयपुर (नीतिगत निर्णय)	II/59 ए.वी.एस. गाँधी नगर जयपुर	601, मॉडल टाउन, मालवीय नगर	31.1.2016

शर्तों:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(IIA)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटि के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशायी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी-
 1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. क्रम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता जल संस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।

8. शासन उप सचिव क्रार्मिक क-4/2 विभाग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिठविठ/जन स्वाठअभिठविठ/जयपुर विठविठनिगम लिठ. गाधीनगर/मालवीयनगर/जयपुर।
11. संबधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. समस्त संबधित अधिकारीगण।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- ✓ 14. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाधीनगर/मालवीयनगर/ जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा लें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
17. निजी सचिव, अति-मुख्य सचिव, शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।


(मनफूल बेरवा)
शासन सहायक सचिव